रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 916] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 18, 2006/श्रावण 27, 1928
No. 916] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18, 2006/SRAVANA 27, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2006

का.आ. 1319(अ).—दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2006 (2006 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय की दिनांक 20 मई, 2006 की अधिसूचना संख्या का. आ. 777(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में निर्देश (1) और (2) का लोप किया जायेगा ।

[फा. सं. के-12016/2/2006-डीडी आईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2006

S.O. 1319(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2006 (22 of 2006), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Urban Development number S.O. 777(E), dated the 20th May, 2006, namely :—

In the said notification, directions (1) and (2) shall be omitted.

[F. No. K-12016/2/2006-DD IB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2006

का.आ. 1320(अ).- दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2006 (2006 का 22) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुलग्नक में उल्लिखित अनधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) तथा (3) द्वारा दी गई छूटों को वापिस लेती है ।

अनुलग्नक

अनधिकृत विकास, जिसके संबंध में दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम,2006 की धारा 3 के अन्तर्गत राहत वापस ली गई है :

I 1. रिहायशी क्षेत्रों में बैंकट हाल ;

2. रिहायशी क्षेत्रों में किसी भी व्यापार अथवा कार्यकलाप जिसमें किसी प्रकार का हानिकर, जोखिम भरा, ज्वलनशील, असंगत और प्रदूषणकारी पदार्थ या प्रणाली हो ;

3. रिहायशी क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रकार की फुटकर दुकानें :

क. भवन निर्माण सामग्री (लकड़ी , मार्बल, लोहा एवं इस्पात और रेत), जलाने वाली लकड़ी (फायरवुड), कोयला और अग्नि के जोखिम वाले और अन्य भारी सामग्री की फुटकर दुकानें ।

ख. ऑटोमोबाइल की मरम्मत की दुकानें और वर्कशॉप, साइकिल रिक्शा मरम्मत, टायर रिसोलिंग और रीट्रीडिंग, बैटरी चार्जिंग ;

ग. भण्डारण , गोदाम और भाण्डागार ;

घ. कबाड़ी की दुकान ;

ङ. शराब की दुकान ;

च. मुद्रण , रंगाई एवं वार्निशिंग ;

नोट :(i) (क) में पूर्णतः तैयार मार्बल उत्पाद की फुटकर दुकानें जो कटिंग और पॉलिशिंग का कार्यकलाप नहीं करती हों, शामिल नहीं होगी ।

(ii) ऑटोमोबाइल और साइकिल रिक्शा के मामले में मरम्मत की दुकानें और वर्कशॉप ऐसे प्लाटों पर वर्तमान में बंद नहीं होगी जो 30 मीटर या अधिक मार्गाधिकार वाले निश्चित उपयोग मार्गों से लगे हुए हैं ।

4. निम्नलिखित को छोड़कर भूतल के अलावा अन्य तलों पर फुटकर दुकानें (क) 24 मीटर या अधिक मार्गाधिकार वाली सड़कों पर (ख) जहां यह दिल्ली मास्टर प्लान 1962 के तहत अनुमत्य थी ;

5. की गई व्यवसायिक गतिविधी :

(क) वास्तुकारों, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों, डाक्टरों और वकीलों के अलावा अन्य व्यवसायिक ;

(ख) रिहायशी परिसरों में 50 % स्वीकार्य कवरेज से अधिक ;

(ग) कोई व्यक्ति, जो ऐसे परिसरों में नहीं रहता हो ।

6. मास्टर प्लान और जोनल प्लान सडकों पर चल रहे बैंकों और नर्सिंग होमों के अलावा प्लाटों पर रिहायशी विकास के मामले में 200 वर्ग मीटर (गाँव, विशेष क्षेत्रों और पुनर्वास कालोनियों में 160 वर्ग मीटर) से कम तथा 1000 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों पर चल रहे बैंक और नर्सिंग होम ।

7. मास्टर प्लान और जोनल प्लान सडकों अथवा विशेष क्षेत्रों पर चल रहे गैस्ट हाऊसों के अलावा प्लाटों पर रिहायशी विकास के मामले में 200 वर्ग मीटर (गाँव और पुनर्वास कालोनियों में 160 वर्ग मीटर) से कम तथा 1000 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों पर चल रहे गैस्ट हाऊस ।

8. भूतल से भिन्न तलों पर चलने वाले पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, फिटनेस केन्द्र और जिम ।

II (क) रिहायशी प्लाटेड विकास और नियमित कालोनियों में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला कोई भी निर्माण कार्य ;

(ख) रिहायशी प्लाटेड विकास और नियमित कालोनियों में भू +3 तलों से अधिक कोई भी निर्माण कार्य ;

III उपर्युक्त 1(5) में दी गई शर्तों के अध्यधीन व्यावसायिक कार्यकलापों को छोड़कर दिल्ली नगर निगम के संपत्ति कर वर्गीकरण की ईकाई क्षेत्रफल विधि के अनुसार" क" और" ख" श्रेणियों में पड़ने वाले रिहायशी क्षेत्रों में वाणिज्यिक कार्यकलाप ;

[फा. सं. के-12016/2/2006-डीडी आईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhii, the 18th August, 2006

S.O. 1320(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the Delhi Laws (Special Provisions) Act 2006 (22 of 2006), the Central Government hereby withdraws the exemptions granted under sub-sections (2) and (3) of section 3 of the said Act in respect of the categories of unauthorized development mentioned in the Annexure appended to this notification.

Annexure

I. 1. Banquet halls in residential areas;

2. Any trade or activity in residential areas, involving any kind of obnoxious, hazardous, inflammable, non-compatible and polluting substance or process;

3. Retail shops in residential areas of the following kinds:

a) Retail shops of building materials (timber, marble, iron and steel and sand), firewood, coal and any fire hazardous and other bulky materials;

b) Repair shops of automobiles repair and workshop, cycle rickshaw repair, tyre resoling and re-treading, and battery charging;

c) Storage, godown and warehousing;

d) Junk shop;

e) Liquor shop;

f) Printing, dyeing and varnishing;

Note: (i) In (a) will not be included business of finished marble products where cutting and polishing activity of marble is not undertaken.
(ii) The repair shops and workshops in case of automobile and cycle rickshaws, would presently be not stopped on plots abutting mixed use streets of right of way (ROW) of 30 m or more]

4. Retail shops on floors other than ground floor except (a) on streets of 24m ROW or more, (b) where it was permissible as per MPD 1962;

5. Professional activity carried out:

a) by professionals other than Architects, Chartered Accountants, Doctors and Lawyers;

b) in excess of 50% permissible coverage in residential premises;

c) by anyone who is not a resident in such premises.

6. Banks and Nursing Homes operating on plots of less than 200 sqm in the case of residential plotted development (160 sqm in villages, Special areas and rehabilitation colonies) and more than 1000 sqm, except those operating on Master Plan and Zonal Plan roads.

7. Guest Houses operating on plots of less than 200 sqm in the case of residential plotted development (160 sqm in villages and rehabilitation colonies) and more than 1000 sqm, except

those operating in Special areas or on Master Plan and Zonal plan roads.

8. Pre-primary Schools, fitness centers and gyms operating on floors other than ground floor.

II. a) Any construction that is over 15 m in height in residential plotted development and regularized colonies;

b) Any construction beyond Ground + 3 floors in residential plotted development and regularized colonies;

III. Commercial activity in residential areas falling in categories 'A' and 'B' as per Unit Area method of Property tax classification of Municipal Corporation of Delhi except professional activities subject to conditions given in I (5) above;

[F. No. K-12016/2/2006-DD IB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.